जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः जीविवि/परीक्षा-2/गोप0/2018/1704 दिनांक : 16.11.2018

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय परिक्षेत्र, ग्वालियर

विषय :- विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में परीक्षा संचालन शुल्क की राशि 175+13 कुल राशि 188/- परीक्षा प्रारम्भ होने के 07 दिवस पूर्व परीक्षा केन्द्र पर अनिवार्य रूप से जमा कराये जाने के संबंध में।

माननीय, कुलपति महोदया के निर्देशानुसार समस्त अशासकीय महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में आपके महाविद्यालय के जो छात्र अन्य महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र पर सम्मिलित हो रहे हैं, परीक्षार्थियों की कुल संख्या गुणित 188 की कुल राशि संबंधित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने के 07 दिवस पूर्व अनिवार्य रूप से जमा करायें। अन्यथा आपके महाविद्यालय के परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं किये जायेंगे और यदि आपके महाविद्यालय के परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित होते है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आपके महाविद्यालय की होगी।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि आपके द्वारा 07 दिवस के बाद राशि परीक्षा केन्द्र पर जमा करायी गयी तो आपके महाविद्यालय को **एकमुश्त 10000/- रू. (दस हजार रूपए) की राशि विश्वविद्यालय में दण्डस्वरूप जमा कराने के उपरान्त ही आपके महाविद्यालय के परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए जावेंगे।**

यदि आपके महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के आदेशों का अक्षरशः पालन नहीं किया जाता है तो आपके महाविद्यालय की **सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।**

आदेशानुसार,

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः-

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

उप-कुलसचिव(गोपनीय/परीक्षा)

बिपिन पत्र